देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए.. अव्यवस्था के खिलाफ..

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/palm/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 11 मई 2020

नकली शराब बनाते पकडे जाने के बावजूद पूरे साल संचालित हुई रसूखदार की अंग्रेजी शराब की दूकान!

हमारे द्वारा पूर्व में इस मामले में किये गए खुलासे

कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री की पत्नी की दूकान पर आबकारी विभाग ने औचक निरिक्षण कर पकड़ा था नकली शराब बनाने का जखीरा और 2 आदमी|

पिछले साल नवम्बर माह के शुरुआत में जयपुर शहर के आबकारी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए लाईसेंसकृत शराब की दूकान के भीतर दो व्यक्तियों को नकली शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया था|चूँकि यह दूकान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मंत्री की पत्नी के नाम थी लिहाजा जैसे कि परंपरा कहे या विभाग का दोहरा रवैया,आबकारी जयपुर शहर के अधिकारियों द्वारा मेहरबानी करते हुए इस दूकान को पूरे वित्तीय वर्ष चलने दी|

इस मामले की शिकायत राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक की गयी परन्तु रसूखदार के प्रभाव के चलते सभी शिकायतों को दबा दिया गया|

आबकारी विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश

जानकारों के अनुसार विभाग द्वारा नकली शराब के मामलों में तुरंत और निष्पक्ष कार्यवाही करने के कड़े आदेश दिए गए है परन्तु इस मामले में कार्यवाही की शुरुआत से ही लीपापोती की गयी|विभाग के आदेशानुसार ऐसे कई मामले है जिनमे नकली होलोग्राम और ढक्कन बरामद होने के बावजूद स्थानीय पुलिस थानों में मामला दर्ज नहीं करवाया जाता है|राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 14/54,एवं 16/54 के अनुसार ऐसे प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं होते है परन्तु इसके बावजूद जिला आबकारी अधिकारीयों द्वारा संयोज्य किये जाने की अनुशंसा के साथ मुख्यालय भिजवा दिए जाते

शराब में मिलावट, दो गिरफ्तार

छापा मारा

• दुकान सील, राजनेता के नाम की पर्ची

पंजाब केसरी/जयपुर

आबकारी विभाग ने शहर में शराब की एक दुकान में शराब में मिलावट का मामला पकड़ते हुए दो सैल्समैन को गिरफ्तार किया है। मामला मानसरोवर का है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि शिप्रा पथ पर अंग्रेजी शराब की एक दुकान में मिलावटी शराब बेची जा रही है। इस पर विभाग की टीम ने दुकान पर छापा मारा, तो वहां दो सैल्स मैन बोतलों में मिलावट करते मिले। मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दुकान को सील कर दिया गया। बताया जाता है कि दुकान एक पूर्व मंत्री की पत्नी के नाम है।

इस बात की जानकारी विभाग के अफसरों को मिली, तो उनके हाथ-पांव फूल गए। हालांकि दुकान का लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर मिलावट के ज्यादातर मामलों में लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हो चुकी है।

इनका कहना है

शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई थी। दो सैल्समैन को गिरफ्तार किया गया। शराब के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

-सुनील भाटी, जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर)

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन **समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी एवं प्रिंटिड फोर्मेट में दस्तावेजों,साक्ष्यों के रूप में उपलब्ध एवं मान्य

है|राजस्थान आबकारी अधिनयम की धारा 9B के अनुसार सिविल न्यायालय को सक्षम आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वाद सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्थगन आदेश जारी कर दिया जाता है|जिला आबकारी अधिकारीयों द्वारा उचित पैरवी नहीं किये जाने से स्थगन आदेश की अवधि बढती जाती है|

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर

क्रमांकः- 11545 दिनांकः- 12/12/19

श्री ज्ञानेश कुमार
4/209, बी चित्रकूट योजना
वैशाली नगर जयपुर।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार हैः-

बिन्दू संख्या 1:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रम संख्या 8 के प्रकट किए जाने से छूट-(क)(ज) के अनुसार दिया जाना सम्भव नहीं है।

बिन्दू संख्या 2:- सूचना मुखबीर से प्राप्त हुई थी।

बिन्दू संख्या 3:- प्रकरण में मौके पर मदिरा दुकान से दो व्यक्ति श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह एवं श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

बिन्दू संख्या 4:- दोनो व्यक्तियों के उक्त मदिरा दुकान के नौकरनामें स्वीकृत नहीं थे।

बिन्दू संख्या 5:- मदिरा दुकान में ही किया जा रहा था।

बिन्दू संख्या 6:- उक्त प्रकरण में मदिरा दुकान से 7 गत्ता कार्टन में रखे नकली व पुनः भराई युक्त 6 पव्वें Mcdowells no. I Deluxe Whisky, 2 अद्दे Mcdowells no. I Celebration XXX Rum, 3 पव्वें Mc Dowells Green Label The Rich Blend Whisky, 4 पव्वें Premium RomanovVodka Orange Flavoured, 5 बोतल Blenders Pride Select Premium Whisky, 9 बोतल Black Dog Triple Gold Reserve Blended Scotch Whisky,12 बोतल Signature Premium Grain Whisky, 26 पव्वें Imperial Blue Superior Grain Whisky, 14 अद्दे Royal Stag Delux Whisky तथा 11 अद्दे Blenders Pride Select Premium Whisky भरे बरामद किये गये।

बिन्दू संख्या 7:- उक्त प्रकरण मे मदिरा दुकान से दो गत्ता कार्टन में 129 ग्वाला कैप तथा 171 रिंग कैप कुल 300 कैप, 3 प्लास्टिक की बोतलों में शराब जैसा प्रतीत होने वाला करीब 3 लीटर रंगीन द्रव, 27 खाली मोनो कार्टन एवं 26 खाली बोतले (बिना ढक्कन) बरामद की गई।

बिन्दू संख्या 8:- आबकारी निरीक्षक के स्तर से नियमित रूप से की जाने वाली कार्यवाही थी।

बिन्दू संख्या 9:- श्री गौरव मणि जौहरी, का सहायक आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण में पदस्थापन होने के साथ सहायक आबकारी अधिकारी जयपुर शहर का भी अतिरिक्त चार्ज होने के कारण राजकार्य के लिए आबकारी कार्यालयों में आने के लिए स्वतंत्र है।

बिन्दू संख्या 10:- आबकारी निरीक्षक के द्वारा मौके की कार्यवाही दिनांक 03.11.2019 को पूर्ण कर उक्त मदिरा दुकान को बाद कार्यवाही चिट चस्पा कर सील किया गया था।

बिन्दू संख्या 11:- आबकारी निरीक्षक के द्वारा उक्त कार्यवाही की कोई फोटोग्राफी नहीं कराई गई है।

बिन्दू संख्या 12:- उक्त प्रकरण में मीडिया में प्रकाशित होने को लेकर कोई गोपनियता नहीं रखी गई है।

बिन्दू संख्या 13:- आबकारी प्रयोगशाला, सांगानेरी गेट, जोन जयपुर एवं संबंधित मदिरा निर्माता इकाईयों को भेजे गये है।

बिन्दू संख्या 14:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रम संख्या 8 के प्रकट किए जाने से छूट-(क)(ज) के अनुसार दिया जाना सम्भव नहीं है।

आबकारी विभाग जयपुर शहर द्वारा इस मामले में उपलब्ध करवाई गयी सुचना

(सुनील भाटी)
जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

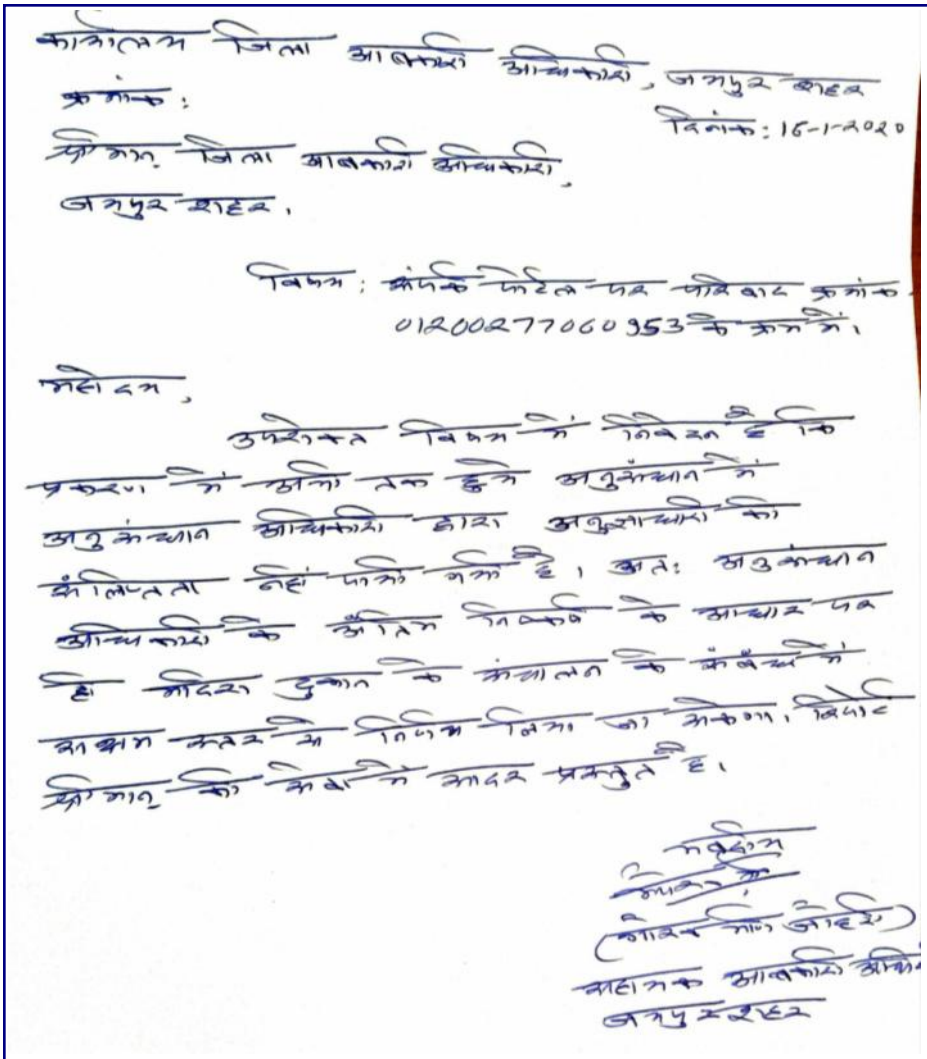

आबकारी निरीक्षक के अनुसार इस मामले में अनुज्ञाधारी दोषी नहीं

सहायक आबकारी अधिकारी जयपुर शहर के अनुसार अनुसन्धान अधिकारी द्वारा अपने अनुसन्धान में अनुज्ञाधारी की संलिप्तता नहीं पाई गयी है|आबकारी विभाग द्वारा प्रदत्त सुचना के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के नौकरनामे स्वीकृत नहीं थे|क्या यह संभव है कि शहर के बीचोबीच स्थित दूकान में सुबह के 10 बजे कोई अनजान आदमी, दूकान की चाबी लाकर या बनवाकर आराम से नकली शराब बना रहे हो और दूकान मालिक और अन्य नौकरों को इसकी भनक तक नहीं लगे|

सबसे बड़ी बात है कि आबकारी नियमों के अनुसार शराब की दुकानों पर कार्य करने वाले स्वीकृत नौकरों के सभी कृत्यों के लिए लाईसेंसी को दोषी माना जाता है जबकि यहाँ पर तो पकडे गए नौकरों के नौकर नामे ही स्वीकृत नहीं थे|जो कीएक और गैरकानूनी कृत्य की श्रेणी में आता है|

ऐसे में अनुसन्धान अधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की जांच पर ही सवालिया निशान खड़े होते है|

ना सुचना उपलब्ध करवाई और ना ही कोई कार्यवाही की

जब हमारे द्वारा निरंतर इस प्रकरण को फॉलो करते हुए सुचना चाही तो जिम्मेदार अधिकारीयों द्वारा सुचना नहीं देने की गली निकलते हुए सुचना देने से मना कर दिया और दूकान को बाकी बचे वित्त वर्ष में भी चलने दी|

नकली शराब बनाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने बाबत आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गए आदेश की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक:प029(बी)अभि/11/आब/2009/602 दिनांक: 03-08-2010

1- अतिरिक्त आयुक्त, समस्त।

2- जिला आबकारी अधिकारी, समस्त।

विषय:- राज्य की लाईसैंसशुदा दुकानों में अवैध मदिरा की बरामदगी एवं ऐसी अवैध गतिविधि के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में लाईसैंसशुदा दुकानों से हरियाणा/चण्डीगढ़ राज्यों की अवैध शराब/नकली देशी मदिरा की बरामदगी के कुछ प्रकरण प्रकाश में आये हैं जो बहुत ही गम्भीर व्यतिकम है एवं ऐसे प्रकरणों से संबंधित अनुज्ञाधारी के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये। ऐसे प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक विधिसम्मत कठोर कार्यवाही किये जाने से अवैध गतिविधियों में संलिप्त अधिकृत अनुज्ञाधारी हतोत्साहित होंगे। कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन प्रकरणों में विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने में या तो देरी की गई अथवा जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया गया। उक्त कार्यशैली अवैध कार्य करने वाले तत्वों का मनोबल बढ़ाने वाली है, जो राजस्व हित के प्रतिकूल है। ऐसे कुछ प्रकरणों में विभागीय विश्लेषण पर विभागीय कार्मिकों के कर्तव्यों के निवर्हन में निम्न कमियां लक्षित हुई हैं:-

1- लाईसैंसशुदा दुकानों में हरियाणा/चण्डीगढ़ राज्यों की अवैध शराब/नकली देशी मदिरा पाये जाने के दर्ज प्रकरणों में विभागीय अधिकारी/कार्मिक जांच कार्यवाही में सजग नहीं रहते हैं तथा जांच में इतना विलम्ब कर देते हैं कि अनुज्ञाधारी प्रकरण की कमियों के आधार पर न्यायालय आदि से स्थगन प्राप्त कर लेता है।

2- आबकारी निरीक्षक द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में दर्ज की जाने वाली प्राथमिकी में सम्पूर्ण घटना कम का स्पष्ट ब्यौरा अंकित नहीं किया जाता है।

3- लाईसैंसशुदा दुकानों में अवैध मदिरा विशेष रूप से नकली देशी मदिरा पाये जाने पर मौका रिपोर्ट में होलोग्राम, शराब, जी0एस0एम0 के लेबल, मदिरा आदि नकली प्रतीत होने मात्र का उल्लेख कर प्रकरण मुख्यालय को भिजवा दिये जाते हैं। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 14/54 एवं 16/54 के अन्तर्गत दर्ज ऐसे प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं होते हैं। फिर भी ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञाधारी के आवेदन पर संयोज्य किये जाने की कार्यवाही पर विचार किया जाता है अथवा संयोज्य किये जाने की अनुशंषा के साथ प्रकरण मुख्यालय को अग्रप्रेषित कर दिये जाते हैं।

4- अवैध मदिरा पर लगे हुये होलोग्राम अथवा बरामद होलोग्राम नकली होने के अथवा विभाग के द्वारा अधिकृत फर्म द्वारा निर्मित नही होने का तथ्य सामने आने पर भी जांच अधिकारी के द्वारा

इस बिन्दू पर तत्काल कार्यवाही नही की जाती है और संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नही कराया जाता है।

5– कई बार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 34 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के नोटिस एवं पुनआवंटन हेतु लॉटरी निकाले जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है जिस कारण अनुज्ञाधारी द्वारा न्यायालय से विभागीय कार्यवाही पर स्थगन प्राप्त कर लिया जाता है। कई बार यह भी पाया गया है कि यदि ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञाधारी न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेता है तो वाद की पैरवी भी सही तरीके से नहीं की जाती है।

6– राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 9 B के अन्तर्गत अधीनस्थ सिविल न्यायालय को सक्षम आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। कई बार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्थगन आदेश जारी कर दिया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 19/2001 जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य बनाम मैसर्स कलावती हरी सिंह चौधरी में दिनांक 16.08.2007 को पारित निर्णय में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 B के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के द्वारा ऐसे प्रकरणों की सुनवाई के लिये क्षेत्राधिकार बाधित माना है। ऐसे प्रकरणों में जिला आबकारी अधिकारी उक्त कानूनी स्थिति स्थगन जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसके अभाव में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवधि लगातार बढ़ती रहती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कठोर पालना हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1– लाईसेंसशुदा अंग्रेजी एवं देशी मदिरा की दुकानों पर सतत् निगरानी रखी जाये। जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षक दुकानों की आकस्मिक जांच कर यह सुनिश्चित करें कि उक्त दुकानों पर अनुज्ञा–पत्र की आड़ में अवैध मदिरा का व्यवसाय तो नहीं किया जा रहा है। यदि लाईसैंसशुदा दुकान से अवैध व्यापार की शिकायत प्राप्त होती है एवं किसी स्त्रोत से जांच आदि कराये जाने पर शिकायत सही साबित होती है तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2– विभाग के अनुज्ञाधारी द्वार अवैध मदिरा के व्यापार में लिप्त होने अथवा नहीं होने के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त की जावे और यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुज्ञाधारी द्वारा अपने घर से अथवा दुकान के नजदीक के किसी अन्य स्थान से तो अवैध मदिरा का व्यापार नहीं किया जा रहा है। यह आकस्मिक जांच समय–समय पर नियमित रूप से की जाये।

3– उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में जोन के अतिरिक्त आयुक्त समय–समय पर समीक्षा करेंगे एवं भ्रमण के दौरान लाईसैंसशुदा दुकानों की आकस्मिक जांच करेंगे।

4– दुकान में अन्य राज्यों में निर्मित एवं बिक्री योग्य अवैध मदिरा अथवा नकली देशी शराब बरामद होने अथवा दुकान के अनुज्ञाधारी के कब्जे से ऐसी मदिरा/बीयर बरामद होने पर उसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम,1950 की धारा 14/54 अथवा 16/54 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने पर जिला आबकारी अधिकारी संबंधित दुकान एवं अनुज्ञाधारी के

विरूद्ध अनुज्ञा–पत्र की शर्तों के उल्लंघन एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 34 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अनुज्ञाधारी का अनुज्ञा–पत्र निरस्त होने की स्थिति में तत्काल पुनः दुकान आवंन की कार्यवाही यथाशीघ्र करेंगे। दुकान पुर्नआवंटन में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जायेगा।

5– अन्य राज्यों की अवैध मदिरा अथवा नकली देशी मदिरा पाये जाने पर अनुज्ञा–पत्र की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अनुज्ञाधारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रासायनिक रिपोर्ट का इंतजार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

6– लाईसेंसशुदा दुकान अथवा अन्य स्थान पर अन्य राज्यों की अवैध मदिरा/नकली देशी मदिरा पाये जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज किये जाने पर अनुसंधान में यह आवश्यक रूप से जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जाए कि ऐसी अवैध मदिरा किसी अन्य अनुज्ञाधारी को भी उपलब्ध कराई गई थी क्या एवं ऐसी जानकारी पाये जाने पर किसी विस्तृत अनुसंधान किया जाकर अन्य अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।

7– ऐसे किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी जवाबदेह होंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

8– संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जिले की किसी भी मदिरादुकान में अवैध मदिरा/नकली देशी मदिरा/नकली होलोग्राम/मदिरा में पानी मिलाये जाने आदि की स्थिति पाये जाने पर इसकी सूचना मौखिक एवं लिखित तत्काल अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जोन को दी जायेगी। ऐसा नहीं किये जाने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जोन ऐसे प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

9– अवैध मदिरा के प्रकरण के पंजीकरण एवं अनुसंधान की कार्यवाही पर स्वयं जिला आबकारी अधिकारी निगरानी रखेंगे।

10– अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन नियमित रूप से ऐसे प्रकरणोां की समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्वेषण में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे एवं दोषी अनुज्ञाधारी एवं अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त सजा मिल सके।

11– नकली देशी मदिरा के प्रकरणों में नकली होलोग्राम एवं लेबल आदि जब्त किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे नकली होलोग्राम एवं लेबल के प्रकरण में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संबंधित पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहित की उपयुक्त धारा के अन्तर्गत तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाये।

12– अवैध मदिरा के प्रकरणों को आबकारी अधिनियम की सही धारा एवं नियमों/लाईसैंस की शर्तों के उल्लंघन के सही प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल दर्ज किया जाये एवं तदनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायें

13– जिला आबकारीअधिकारी ऐसे प्रकरण प्रशमन योग्य (Compoundable)है या नहीं की अभिनिर्धारण करेंगे। प्रकरण प्रशमन योग्य नहीं होते हुये भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रकरण को संयोज्य के लिये मुख्यालय को अग्रप्रेषित किये जाने पर संबंति जिला आबकारी

अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में मुख्यालय से विस्तृत दिशा-निर्देश (EC-37) पृथक से जारी किये जा चुके हैं, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

14— ऐसे प्रकरणों में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो जिला आबकारी अधिकारी स्वयं तत्काल संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करेंगे एवं प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करायेंगे।

जैसाकि पूर्व में भी निर्देशित किया गया है सभी जिलों में दुकानवार/समूहवार मदिरा उठाव के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाकर कम उठाव करने वाले अनुज्ञाधारियों द्वारा कम उठाव किये जाने के कारणों का विस्तृत परीक्षण किया जाये। ऐसे में संभव है कि कम उठाव वाले क्षेत्र में अवैध शराब का व्यवसाय बढ़ा हो एवं यह भी संभव है कि अनुज्ञाधारी स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवैध करोबार किया जा रहा हो। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पूर्व में भी समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में एवं लिखित आदेशों में भी इस बिन्दू पर विशेष बल दियाहै कि विभाग के अनुज्ञाधारी की लाईसेन्सशुदा दुकान के अन्दर अथवा दुकान के बाहर की किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरूद्ध तत्काल सख्त-से सख्त कार्यवाही की जाये। इस संबंध में उपरोक्त निर्देशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाये। भविष्य में किसी भी प्रकरण में कोताही पाई जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/-
आबकारी आयुक्त
राजस्थान,उदयपुर